न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 276–ए/2006,(जी.सी.एम.एस. न. 2006/00002) पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. जुगली पुत्र परभाती(मृतक)

1/1. ललता प्रसाद पुत्र जुगली जाति माली नि0 जनूथर

2. सोहनलाल
3. रेवन
4. हीरालाल

} पिस0 परभाती जातियान माली नि0जनूथर

5. बाबू
6. किरोडी
7. बल्लो
8. छीतर

} पिस0 पीतम जातियान माली नि0 जनूथर

9. परसी पुत्र शोभाराम जाति माली नि0 जनूथर

10. जबाहर सिंह
11. मनोहर सिंह
12. दयाराम

} पिस0 हुकमी जाति माली नि0 जनूथर

13. सम्पत पुत्र नवीरा रामचंद जाति माली निवासी ग्राम जनूथर

14. वासुदेदव उर्फ वासी नवीरा रामचंद जाति माली नि0 जनूथर(मृतक)

14/1. कस्तूरा पत्नी वासुदेव उर्फ वासी
14/2. भगवान सिंह उर्फ पपईया पुत्र वासुदेव उर्फ वासी
14/3. जगदीश उर्फ बब्बी पुत्र वासुदेव उर्फ वासी
14/4. सावित्री पुत्री वासुदेव उर्फ वासी

} जातियान माली नि0 जनूथर

15. बल्ला
16. परसी
17. बसन्ता

} नवीरा रामचंद जातियान माली नि0 जनूथर

18. प्रभू पुत्र रामचंद जाति माली नि0 जनूथर

19. चिरंजी पुत्र प्यारे
20. लच्छो पुत्र प्यारे

} जातियान माली नि0 जनूथर

21. यादराम पुत्र भूपसिंह जाति माली नि0जनूथर

22. नन्नू पुत्र बहोरी(मृतक) पुत्र मंगल जाति माली नि0 जनूथर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

23. चन्दर
24. चूरामन } पुत्रगण परमा जातियान माली नि0 जनूथर
25. मुस0 लक्ष्मी बेवा देवीराम (मृतक)
25/1. गजराज पुत्र देवीराम जाति माली नि0 ग्राम जनूथर
26. गजराज पुत्र देवीराम(बालिग) जाति माली नि0 जनूथर
27. पन्ना
28. बाबू } पिस0 अंगद जाति माली नि0 जनूथर
29. लाल सिंह
30. मंगल पुत्र खिच्चू(मृतक)
30/1. करन सिंह
30/2. सोहनलाल } पिस0 मंगल जातियान माली नि0 जनूथर
30/3. रतन
30/4. मोती
30/5. मुस. कलावती पत्नी स्व0 मंगल जाति गडरिया नि0 जनूथर
31. गिर्राज पुत्र खिच्चू(मृतक)
31/1. चरन सिंह
31/2. जगनी } पुत्रगण गिर्राज जातियान गडरिया नि0 जनूथर
31/3. भगवान सिंह
32. सूकी
33. कन्हैया } पिस0 खिच्चू जाति गडरिया नि0जनूथर
34. तुरसी पुत्र छीतर जाति जाट नि0 जनूथर

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमति गिरेन्द्रकौर उर्फ वन्टी पुत्री श्री राजा मान सिंह पत्नी श्री बी.एन. सिंह जाति फौजदार(जाट) नि0 मोतीझील की कोठी भरतपुर हाल नि0 नोएडा 29, सेक्टर 37 का चौराहा नोएडा(उ.प्र.)
2. गिर्राज पुत्र रतन सिंह जाति जाट नि0 नरायना कटता तहसील डीग
3. पदम सिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट नि0 कृष्णा नगर कलेक्टर कोठी के पास भरतपुर
4. रामबाबू पुत्र नामालुम जाति जाट नि0 नरायना कटता तहसील डीग
5. तहसीलदार तहसील डीग

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 14.08.2024

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट स्थाई निषेधाज्ञा बावत इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 2978/0.45, वाके ग्राम जनूथर में स्थित है। बहोरी पुत्र मंगल फोत हो चुका है तथा मृतक बहोरी के स्थान पर उसका वारिस व काबिज जायदाद उसके पुत्र नन्नू वादी नम्बर 22 को वादी पक्षकार बनाया गया है। वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2978/0.45 ऐयर व ख0नम्बर 2982/0.24 ऐयर स्थित ग्राम जनूथर वादीगण की पूर्वजों के जमाने से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा सम्बत 2013 से आज तक वादीगण के पूर्वजों तथा उनके फोत होने के वाद वादीगण आराजी पर काबिज है। उक्त आराजी पर प्रति0 संख्या 01 लगायत 04 का कभी भी कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है और ना ही मौके पर है। परन्तु वर्णित आराजी पर प्रति0 जवरदस्ती हस्तक्षेप करते है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 2978/0.45 ऐयर, 2982/0.24 ऐयर स्थित ग्राम जनूथर में हस्तक्षेप में मजाहमत व मदाखलत नहीं किये जाने हेतु प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 संख्या 02 लगायत 04 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथ प्रति0 संख्या 01 ने अपना जबाव दावा पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2978/0.45 ऐयर व खसरा नम्बर 2982/0.24 ऐयर वाके ग्राम जनूथर में स्थित है। वर्णित आराजी वादीगण व उनके पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा वल्कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर साविक आराजी खसरा नम्बर 1026 से बने है। जोकि प्रति0 के पिता स्व0 राजा मानसिंह के कब्जे काश्त की आराजी थी उनके स्वर्गवास के वाद प्रति0 गिरेन्द्रकौर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर मौके पर काश्त कर रही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2982 रकबा 24 ऐयर को गलत तरीके से साविक आराजी खसरा नम्बर 1053 मिन, 1054 मिन, 1052 मिन व 1055 मिन से बनना दर्शाया है। जबकि उक्त साविक आराजी खसरा नम्बरों का मुताविक साविक व हाल नक्सा अनुसार एक इंच भी रकबा नहीं गया है और ना ही मिलान क्षेत्रफल में रकबा दर्ज कर रखा है उक्त विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2982 साविक आराजी ख0नम्बर 1026 का रकबा है जिस पर प्रति0 वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रही है। अतः जबाव प्रस्तुत कर अनुरोध है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः—

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है।
2. आया तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है। उसे पक्षकार नहीं बनाने से दावा वादीगण खारिजी के योग्य है।
3. दादरसी

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्बत 2053 से 2056 प्रदर्श—पी1 पेश की गई तथा मौखिक साक्ष्य में पी डब्ल्यू 1 वादी बल्लोराम, पी डब्ल्यू 2 परसी, पी डब्ल्यू 3 बाबूलाल के बयान कराये गये। प्रति0 द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये और स्वयं0 प्रति0

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

पी डब्ल्यू 1 के रूप में तथा गवाह पदम सिंह डी–डब्ल्यू 2 के बयान कराये गये। तनकी संख्या 01 को खारिज करने भार वादीगण पर तथा तनकी संख्या 02 को सावित करने का भार प्रति0 पर है।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्ष ने अपनी बहस में वादी के अभिभाषक ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराया तथा प्रति0 के अभिभाषक ने अपने जबाव दावा में दर्ज तथ्यों को बताया।

<u>तनकी संख्या–1,</u> इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है वादिया विवादित खसरा नम्बर 2978/0.45 वाके ग्राम जनूथर के खातेदार काश्तकार है तथा जमावन्दी सम्वत 2053–2056 प्रदर्श पी–1, में अभिलिखित खातेदार दर्ज है। इसके विपरीत प्रति0 द्वारा अपने जबाव में इसी खसरा नम्बर की बावत विपरीत प्रति0द्वारा अपने जबाव में इसी खसरा नम्बर की बावत उद्घोषणा का वाद विचाराधीन होना दर्ज किया है तथा विवादित आराजी को अपने गत खसरा नम्बरान की भूमि होना बताया है। प्रति0 द्वारा अपने जबाव के समर्थन में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये है। न्यायालय द्वारा प्रति0 द्वारा पेश दावा उनवानी गिरेन्द्रकौर बनाम जुगली वगै0 अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर 24/2016 जोकि विवादित खसरा नम्बर 2978/0.45 की बावत है को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 01 को वादीगण के पक्ष में प्रतीत है। वादिया विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार है। इसलिए वादिया प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है।

<u>तनकी संख्याः–2</u>, इस तनकी को सावित करने का भार प्रति0 पर है। दावा के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा में तहसीलदार डीग को प्रति0 संख्या 05 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। तनकी संख्या 02 का निर्णय प्रति0 के विरूद्व किया जाता है।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, बयानात, कानूनी द्वष्टांत के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टि0 एक्ट, को राजस्व रिकार्ड के अभाव में अस्वीकार किया किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने से दावा विरूद्व प्रति0 स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 2978/0.45 ऐयर तथा आराजी खसरा नम्बर 2982/0.24 ऐयर वाके ग्राम जनूथर में स्थित आराजीयात में कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने तथा उन्हें जोतने बोने से नहीं रोकने हेतु गैर सायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner